दिनांकः 27.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता व ANTF सहारनपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 615 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 01 करोड 23 लाख रुपये), 02 मोबाइल फोन, 01 i-20 कार व 1730 रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता एव ANTF सहारनपुर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्तगण **1. नवाब उर्फ जुनैद पुत्र इसरार उर्फ शाना निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड जिला सहारनपुर 2. मो0 उस्मान पुत्र शकील अहमद निवासी आनन्द कालोनी थाना यमुना नगर सिटी जिला यमुना नगर हरियाणा** को भोजपुर तिलफरा चैकपोस्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 615 ग्राम स्मैक ,02 मोबाईल फोन , 01 हुंडई कार आई-20 व 1730 रुपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 18/25 धारा 8/21/29/60 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम दोनो मुरादाबाद से यह स्मैक सस्तें दामों मे खरीदकर लेकर आये थे, और इसे महंगे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहतें थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. नवाब उर्फ जुनैद पुत्र इसरार उर्फ शाना निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. मौ0 उस्मान पुत्र शकील अहमद निवासी आनन्द कालोनी थाना यमुना नगर सिटी जिला यमुना नगर हरियाणा

बरामदगी का विवरणः-

- कुल 615 ग्राम अवैध स्मैक
- 02 मोबाईल फोन
- 01 कार (हुंडई आई – 20) UP14 CN 9200
- कुल 1730/- रुपये नगद

आपराधिक इतिहास अभि0 नवाब उर्फ जुनैद –

1. मु0अ0स0 44/23 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 146/23 धारा 392/411/120 बी भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 154/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 370/23 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नवीन कुमार ANTF सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री रवि कुमार ANTF सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह ANTF सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री निप्पी सिह थाना नानौता सहारनपुर
7. है0का0 597 मोहसीन थाना नानौता सहारनपुर
8. का0 2032 सचिन थाना नानौता सहारनपुर
9. का0 शिवम चौधरी ANTF सहारनपुर
10. का0 अश्वनी कुमार ANTF सहारनपुर
11. का0 अंकित कुमार ANTF सहारनपुर
12. का0 विकास कुमार ANTF सहारनपुर

दिनांकः 27.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मात्र 72 घण्टे में 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अपहृत बच्चे को किया गया सकुशल बरामद

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 24/01/2025 को वादी मुकदमा इसरार पुत्र अशक अली निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दाखिल किया की वह गाँव मे दारूम महमूदिया मदरसा चलाता है जिसमे उसके द्वारा **मौ0 उसामा पुत्र तैय्यब आलम निवासी प्लेट -5, 4 फ्लोर मकान नं0 34 असतबल चार बाग पुतातू लाल की बगीया मौलवीगंज लखनऊ** को मदरसा मे पढ़ाने के लिए रखा था। आज दिनांक 24/01/25 को समय 01.00 बजे दिन मे मेरे पुत्र शाद उम्र 10 वर्ष को उक्त व्यक्ति बहला फुसलाकर लेकर चला गया है। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0-32/25 धारा 137(2) बी0एन0एस0 बनाम मौ0 उसामा उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु अपहर्त बच्चे की सुरागरसी पतारसी की गयी तथा टीम गठित की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक गंगोह को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर मात्र 72 घण्टे में 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 02 अभियुक्तगण **1. मौ0 उसामा पुत्र तैय्यब आलम निवासी प्लेट-5, 4 फ्लोर मकान नं0 34 मौलवीगंज लखनऊ व 2. अयान पुत्र मौ0 उस्मान निवासी मौहल्ला अमन विहार कालोनी थाना ठाकुरगंज लखनऊ** को ग्राम सागाठेड़ा के पास निर्माणधीन पुल के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद व अपहृत 10 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग मे धारा 137(2) बीएनएस के स्थान पर धारा 140(2) बी0एन0एस0 का होना पाया गया। गिरफ्तारी व बरमाद के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त मौ0 उसामा ने पूछने पर बताया कि लखनऊ का रहने वाला हूँ। मै एक्शन ईग्लिश मीडियम स्कूल, खालापार लखनऊ में कक्षा- 12 तक पढा था। पहले मैं मोबाइल ठीक करने का काम करता था। मैने एक व्हाटसअप ग्रुप मे एडवरटाईज पढ़ा था कि मौलाना इसरार के मदरसे ग्राम कुण्डाकला, सहारनपुर में एक मौलवी की आवश्यकता है जो अग्रेजी तथा हिन्दी पढ़ाता हो। इस पर मैने, मौहम्मद इसरार से सम्पर्क किया तो मैं उक्त मदरसे मे अध्यापक के पद पर लग गया था। मैने करीब 03 महीने इसमे पढ़ाया, इसके बाद मदरसे के संचालक इसरार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था तथा मेरा एक महीने का वेतन नही दिया था तथा मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी। मुझे इन सबका बदला लेना था, कुछ दिन पहले मैं वापस ग्राम कुण्डाकला आया था तथा वहाँ पर अपने एक परिचित के पास रूका हुआ था। दिनांक 24/01/2025 को मैं मदरसे के बच्चे उजैफा, उवैश व संचालक इसरार के बेटे शाद के साथ मोटर साईकिल पर लखनौती तिराहे कस्बा गंगोह स्थित मदरसे पर आया वहाँ पर शाद के पास कुछ देर रूका। मदरसे के बाहर चारो मेटाडौर स्टैण्ड की तरफ चल दिये, रास्ते में मैने तीनो को पान खिलाया तथा शाद के पान में मैने नशे की गोली रख

दी थी, करीब 10 मिनट वहाँ रूकने के बाद गोली ने असर करना शुरू कर दिया तथा मैने मोटर साईकिल मैटाडौर स्टैण्ड पर रूकवा दी थी। वहाँ से उजैफा व उवैश को वापस भेज दिया था तथा मै शाद को नशे की हालत मे लेकर वहाँ से चल दिया था। बस से मैं सहारनपुर पहुँचा तथा शाम को नौचंदी ट्रेन से सहारनपुर से बैठकर अगले दिन सुबह करीब 06.00 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुँच गया था। इसी दौरान मेरा साथी अयान पुत्र मौ0 उस्मान निवासी मौहल्ला अमन विहार कालोनी थाना ठाकुरगंज लखनऊ जो पूरी घटना मे मेरे साथ लगातार अपने मोबाईल नम्बर- 9140819731 सम्पर्क में था तथा व्हाटसअप काल, मैसेज तथा काल करता रहता था। सुबह करीब 06.00 बजे पहुँचने के बाद मैने अपने मित्र अयान को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बुला लिया था तथा करीब 07.00 बजे हम दोनो शाद को लेकर आलमबाग में अयान की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर पहुँच गये। वहाँ पर अयान नें कहा कि इस बच्चे के बाप से फिरौती मांगनी है तथा उसने मुझे एक मोबाईल नम्बर 8318500945 जो उसकी दुकान पर एक कस्टमर भूल गया था दिया तथा कहा कि इस नम्बर से हम दोनो फिरौती मांगगे अगर पकड़े भी गये तो जिसका मोबाईल है वही फंसेगा। हम दोनो ने सबसे पहले 50 लाख की फिरौती मांगने का प्लान बनाया। मैने उपरोक्त नम्बर से मदरसा संचालक के मो0नं0 पर मैसेज तथा आडियो रिकार्डिंग भेजी तथा उसके बच्चे शाद को छोड़ने के लिए 25 लाख रूपये की फिरौती की मांग की। हमे लगा था कि मौलवी आसानी से दे देगा, कल सुबह जब हमे लगा कि मौलवी पैसे दे देगा तो मैने मौलवी के व्हाटसअप नम्बर 8318500945 पर तीन एकाउण्ट नम्बर जिसमे अमान का एकाउण्ट नम्बर 58498100004679 बैंक आफ बडौदा में 10 लाख रूपये डलवाने तथा मेरे कोटेक महिन्द्रा के खाते में 4747541918 में 10 लाख रूपये तथा मेरे दोस्त रम्भा राजेश्वरी के खाते एयरटेल पैमेन्ट बैंक जो मोबाईल नम्बर 7856824859 से लिंक है, मै 05 लाख रूपये फिरौती के डलवाने के लिए कहा, जब हमे लगने लगा कि मदरसा संचालक नें पुलिस एफआईआर वापस ले ली है तो हम निश्चिंत हो गये कि संचालक पैसे दे देगा और हम बच जायेगे। आज मै व मेरा साथी आयन बच्चे को लेकर ग्राम सागाठेड़ा के पास स्थित निर्माणधीन फ्लाईओवर के पास आये तथा हमनें बच्चे के बाप को व्हाटसअप पर मैसेज करके पैसो की फोटो खिचकर डालने के लिए कहा तो उसने पैसे की फोटो खिचकर फोटो डाली। हमे पूर्णतया विश्वास हो गया कि संचालक पैसे लेकर आ जायेगा तथा हम बच्चे को उसे दे देगे। इतने में पुलिस आ गयी थी और हमे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

(1) मौ0 उसामा पुत्र तैय्यब आलम निवासी प्लेट-5, 4 फ्लोर मकान नं0 34 मौहल्ला मौलवीगंज थाना बजीरगंज जनपद लखनऊ

(2) अयान पुत्र मौ0 उस्मान निवासी मौहल्ला अमन विहार कालोनी थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ

बरामदगी की विवरण

(1) फिरौती के 10,000 रूपये

(2) एक अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम-

(1) प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) उ0नि0 श्री विनोद कुमार प्रभारी सर्विलास सेल मय सर्विलांस टीम

(3) उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(4) हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(5) है0कां0 258 अजित थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(6) कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(7) का0 2452 रक्षित चाहल गंगोह जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 27.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त राशिद पुत्र जहीर निवासी खाताखेडी भूरे वाली मस्जिद के पास थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 341/2024 अन्तर्गत धारा 125(3) सीआरपीसी चालानी थाना को0 देहात नियत दिनांक 21.02.2025 (मा0 न्यायालय परिवार न्यायालय सहारनपुर) में खाताखेड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राशिद पुत्र जहीर निवासी खाताखेडी भूरे वाली मस्जिद के पास थाना मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र राणा थाना मण्डी सहारनपुर
2. हे0का0 477 विनोद पँवार थाना मण्डी सहारनपुर

दिनांकः 27.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 03 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.01.2025 को वादी दीपक कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नन्हेड़ा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी के मामा मोहन कुमार के साथ 10-12 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट करना तथा विरोद्ध करने पर तमंचे से फायर करना जिससे वादी के मामा के पैर में लग जाना व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोत0 देहात पर मु0अ0स0 30/25 धारा 191(1)/191(2)/191(3)/109/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.01.2025 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण **1. कुनाल पुत्र गुरदेव 2.रोहन पुत्र जोगिन्द्र 3.हिमाशु पुत्र देवेन्द्र निवासीगण रामनगर थाना कोतावाली देहात सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 तमच्चा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. कुनाल पुत्र गुरदेव निवासी रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. रोहन पुत्र जोगिन्द्र निवासी रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. हिमाशु पुत्र देवेन्द्र निवासी रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमच्चा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

अभियुक्त रोहन का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 310/2024 धारा 115/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली देहात
2. मु0अ0सं0 497/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारान

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 599 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 2169 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
4. का0 2106 लोकेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 27.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **सुमित पुत्र सतपाल निवासी ग्राम छाछरेकी थाना गागलहेडी सहारनपुर** को शेरपुर शाहपुर रोड की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 015/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुमित पुत्र सतपाल निवासी ग्राम छाछरेकी थाना गागलहेडी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी सहारनपुर।
5. है0का0 342 आशीष तोमर थाना गागलहेडी सहारनपुर।

दिनांकः 27.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मामले में 03 अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 90 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.08.2017 को वादी श्री राजेश्वर पुत्र इलमचन्द नि0 अम्बेहटा शेख थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ने थाना देवबंद पर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र कवॅरपाल नि0 ग्राम अम्बेहटा शेख थाना देवबन्द स0पुर 2.रवि पुत्र कॅवरपाल नि0 उपरोक्त 3.शुभम पुत्र कवॅरपाल नि0 उपरोक्त 4.सुमित पुत्र कॅवरपाल नि0 उपरोक्त द्वारा वादी की लडकी उम्र 21 वर्ष की हत्या कर शव को खेत में फेंक देने की सूचना पर थाना देवबंद पर मु0अ0स0-768/17 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त अभि0गणों की नामजदगी गलत पायी गयी, तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण **1.राजेश्वर पुत्र ईलमचन्द नि0 अम्बेहटा शेख थाना देवबन्द 2. देवेन्द्र पुत्र राजेश्वर नि0 उपरोक्त 3.राजेन्द्र पुत्र राजेश्वर नि0 उपरोक्त** के नाम प्रकाश में आयें। अभियोग एसटी नं0 25/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 27.01.2025 को अभियुक्तगण **1.राजेश्वर पुत्र ईलमचन्द 2. देवेन्द्र पुत्र राजेश्वर 3. राजेन्द्र पुत्र राजेश्वर को मु0अ0स0-768/2017 धारा 302, 34, 201 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 90 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री देवीदयाल शर्मा
विवेचक निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह
पैरोकार हे0का0-180 कपिल कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर